झारखण्ड सरकार

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची

अधिसूचना

राँची, दिनांक-14/10/2022

संख्या-5/आरोप-1-93/2019-17675 (HRMS)/ श्री बंका राम, झा0प्र0से0, तत्कालीन विशेष भू-अर्जन पदाधिकारी, उत्तरी कोयल परियोजना, मेदिनीनगर, पलामू सम्प्रति निलंबित के विरूद्ध उपायुक्त, पलामू के पत्रांक-852, दिनांक 01.11.2019 द्वारा प्रपत्र-'क' में आरोप गठित कर उपलब्ध कराया गया है, जिसमें इनके विरूद्ध अपने हस्ताक्षर से अवैध रूप से दिनांक 14.06.2018 को विशेष भू-अर्जन पदाधिकारी, उत्तरी कोयल परियोजना, मेदिनीनगर, पलामू के पदनाम से भारतीय स्टेट बैंक, डालटनगंज में संधारित खाता संख्या-11112105417 से 12,60,00,000/- (बारह करोड़ साठ लाख) रूपये की निकासी कर गबन करने का आरोप प्रतिवेदित है।

2. श्री राम के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोपों की गंभीरता को देखते हुए विभागीय अधिसूचना सं0-3777(□□□□), दिनांक 04.03.2020 द्वारा झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-9(1)(क) के तहत् तत्काल प्रभाव से इन्हें निलंबित किया गया तथा विभागीय संकल्प सं0-7860, दिनांक 28.07.2020 द्वारा इनके विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की गई।

3. संचालन पदाधिकारी के पत्रांक-99, दिनांक 10.02.2021 द्वारा विभागीय कार्यवाही का जाँच प्रतिवेदन समर्पित है।

4. श्री राम द्वारा निलंबन से मुक्त करने हेतु दिनांक 21.04.2022 को अभ्यावेदन समर्पित किया गया, जिसमें उनके द्वारा कहा गया है कि उनकी निलंबन अवधि दो साल से अधिक हो गयी है, जिस कारण परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत खराब है तथा बच्चों की शिक्षा प्रभावित हो रही है।

5. अतः विभागीय जाँच पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन एवं श्री राम द्वारा समर्पित आवेदन के समीक्षोपरांत निम्नांकित निर्णय लिया जाता है-

(क) श्री बंका राम, तत्कालीन विशेष भू-अर्जन पदाधिकारी, उत्तरी कोयल परियोजना, मेदिनीनगर, पलामू सम्प्रति निलंबित को निलंबन से मुक्त किया जाता है।

(ख) उक्त गबन राशि की वसूली एवं श्री राम के निलंबन अवधि का विनियमन उनके विरूद्ध दर्ज शहर थाना कांड सं0-378/2019 में पारित अंतिम आदेश के फलाफल के आधार पर लिया जायेगा।

Sl. No.	Employee Name (G.P.F. No.)	Department	Office	Designation	Decision of the Competent Authority	Effective Date	Effect of suspension period on pension
1	2	3	4	5	6	7	8
1 ,,	BANKA RAM (BHR/BAS/3146)	> DIV COMMISIONER OFFICE SOUTH CHHOTANAGPUR	DIVISIONAL COMMISSIONER SOUTH CHOTANAGPUR RANCHI (RANCHI)	Under Suspension	श्री बंका राम, झा0प्र0से0, तत्कालीन विशेष भू-अर्जन पदाधिकारी, उत्तरी कोयल परियोजना, मेदिनीनगर, पलामू को निलंबन से मुक्त किया जाता है।	14/10/2022	It will NOT be calculated for pension purposes

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

(रंजीत कुमार लाल)
सरकार के संयुक्त सचिव
जीपीएफ संख्या:□□□/□□□/3601

ज्ञापांक-5/आरोप-1-93/2019-17675 (HRMS)/राँची दिनांक-14/10/2022

प्रतिलिपि- नोडल पदाधिकारी, ई-गजट, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक-5/आरोप-1-93/2019-17675 (HRMS)/राँची दिनांक-14/10/2022

प्रतिलिपि- माननीय राज्यपाल के प्रधान सचिव, झारखण्ड, राँची/माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव, झारखण्ड, राँची/मुख्य सचिव कोषांग, झारखण्ड, राँची/विभागीय प्रधान सचिव कोषांग/सचिव, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची/महालेखाकार, झारखण्ड, राँची/प्रमंडलीय आयुक्त, द0छो0 प्रमंडल, राँची/प्रमंडलीय आयुक्त, पलामू प्रमंडल, मेदिनीनगर/ उपायुक्त, पलामू/उप सचिव, वित्त (वै0दा0नि0 कोषांग) विभाग, झारखण्ड, राँची/कोषागार पदाधिकारी, संबंधित कोषागार/विभागीय अवर सचिव, प्रभारी प्रशाखा-3 एवं 4/विभागीय अवर सचिव, प्रभारी प्रशाखा-6/विभागीय अवर सचिव, प्रभारी प्रशाखा-5/श्री बंका राम, झा0प्र0से0, सम्प्रति निलंबित, मुख्यालय-प्रमंडलीय आयुक्त का कार्यालय, दक्षिणी छोटानागपुर, प्रमंडल, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव

Prepared By:- MANISHA KUMARI - (110073336087)